



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052023-246109
CG-DL-E-26052023-246109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2235]

No. 2235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2023/ज्येष्ठ 5, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2023/JYAISHTHA 5, 1945

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

का.आ. 2331(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-खंड (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को जियो टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. जियो टेक्सटाइल्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के पैरा 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-
“(2) यह आदेश 7 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा”

[फा. सं. 6/1/2021-आर एंड डी (भाग 2)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 10 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1706 (ई) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF TEXTILES**ORDER**

New Delhi, the 24th May, 2023.

S.O. 2331(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:—

- 1. Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Geo Textiles (Quality Control) Amendment Order, 2022.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 2.** In the Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—
“(2) This order shall come into force on the 7th October, 2023.”

[F. No. 6/1/2021-R&D (Pt.2)]

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 1706(E) dated 10th April, 2023.